Dainik Bhaskar, Delhi
Sunday, 7th October 2018; Page: 14
Width: 65.19 cms; Height: 43.10 cms; a3r; ID: 25.2018-10-07.149

भास्कर 360° | लखनऊ शूटआउट

देश में कोई ऐसा संगठन नहीं है, जिसके अपराधों का रिकॉर्ड, उस संगठित समूह के रिकॉर्ड से टक्कर ले सके, जिसे भारतीय पुलिस बल के नाम से जाना जाता है। -जस्टिस एएन मुल्ला, इलाहाबाद हाईकोर्ट (1960)

पुलिस की कार्यशैली को लेकर 58 साल पहले जस्टिस मुल्ला ने जो टिप्पणी की थी, वह आज भी प्रासंगिक लगती है। खासकर पुलिसिया एनकाउंटर्स पर उठने वाले सवालों के कारण।

बेलगाम पुलिसः हर सप्ताह फर्जी एनकाउंटर के 2 व हिरासत में मौत के 3 केस, पर सजा 1 फीसदी पुलिसवालों को भी नहीं

केस-1
सितंबर 2017
बागपत (उत्तरप्रदेश)

यूपी पुलिस ने बागपत के एक गांव से 20 वर्षीय सुमित गुर्जर को उठा लिया। सुमित पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। मगर उसी शाम नोएडा पुलिस ने उस पर पहले 25 हजार फिर 50 हजार का इनाम घोषित कर दिया। अगले दिन सुमित के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर आई। पता चला कि यह सुमित वो नहीं था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। गांव में एक और सुमित गुर्जर है, जिसके खिलाफ 2011 में छह मामले चल रहे थे।

केस-2
नवंबर 2017
सांगली (महाराष्ट्र)

इंजीनियर से लूटपाट के आरोप में पुलिस ने अनिकेत कोथले नामक युवक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। थाने में इन्हें इस तरह टॉर्चर किया कि अनिकेत की मौत हो गई। पुलिसकर्मियों ने मामला दबाने के लिए उसके कस्टडी से भागने की झूठी कहानी रच दी। वहीं लाश को 130 किलोमीटर दूर ले जाकर जला दिया। खुलासा होने पर 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया।

केस-3
फरवरी 2018
नोएडा (उत्तरप्रदेश)

बॉडी बिल्डर जितेंद्र यादव एक शादी से घर लौट रहे थे। रास्ते में कार के बाहर खड़े होकर दोस्तों से बात करते वक्त पुलिस ने उनसे बदसलूकी की। फिर एक सब-इंस्पेक्टर ने थाने ले जाने का कहकर उन्हें कार में बैठाया और गोली चला दी। घटना को एनकाउंटर का नाम दे दिया गया। मिस्टर उत्तराखंड रह चुके यादव की जान तो बच गई, लेकिन उनके धड़ से नीचे का हिस्सा अब भी ठीक से काम नहीं करता।

भास्कर न्यूज नेटवर्क

ये घटनाएं सबूत हैं कि एपल के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की पुलिस के हाथों 'हत्या' इस किस्म का नया मामला नहीं है। पुलिस दशकों से इसी तरह बेलगाम है। इस बेलगामी का अंदाजा इस बात से भी होता है कि सन् 2000 से 2017 के बीच देशभर में फर्जी एनकाउंटर के 1782 केस सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से तो देश की सुरक्षा एजेंसियों पर हर सप्ताह 2 फर्जी एनकाउंटर के मामले दर्ज हो रहे हैं। मगर इनमें से ज्यादातर फर्जी घटनाएं पुलिस के ही नाम हैं। यह खुलासा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक आरटीआई के जवाब में किया है। वैसे इस बात में जरा भी हैरानी नहीं है कि इन मामलों में 44.55% उत्तरप्रदेश से जुड़े हैं। वही प्रदेश जहां फिलहाल सरकार और पुलिस एपल के सेल्स मैनेजर की 'हत्या' के दाग धोने में जुटी है। इसके अलावा हिरासत में मौतों का आंकड़ा भी पुलिस को बेलगाम बता रहा है। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि 2017-18 के 10 माह में रोजाना औसत पांच लोगों ने न्यायिक या पुलिस हिरासत में जान गंवाई है। पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले 144 रहे हैं। यानी हर सप्ताह 3 से ज्यादा मौतें।

वैसे फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में मौत या मानवाधिकार उल्लंघन के अन्य मामलों में अपराध तो पुलिस के खिलाफ भी दर्ज हुए हैं, लेकिन इनमें सजा की दर बेहद कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2014 की शुरुआत से 2016 के अंत देश में पुलिस के खिलाफ ऐसे 401 मामले दर्ज किए गए। मगर इनमें से 3 मामलों में ही आरोपी पुलिसकर्मी को सजा हो सकी है। यानी सजा की दर 0.7 फीसदी से भी कम है। उत्तरप्रदेश पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी प्रकाश सिंह ने दैनिक भास्कर को बताया कि ऐसे मामलों में आरोपी पुलिसकर्मियों की सजा की दर में सुधार लाया जा सकता है। अगर 2006 में पुलिस सुधार को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ठीक से लागू किया जाए। तब प्रकाश सिंह की ही याचिका पर कोर्ट ने जांच और सुरक्षा की जिम्मेदारियां अलग-अलग करने की बात कही थी। सिंह कहते हैं कि अगर जांच के लिए राज्य और जिला स्तर की टीम अलग होगी तो पुलिस विभाग में अनियमितताएं घट जाएंगी। जांच सही दिशा में होगी और सजा की दर सुधरेगी। कोर्ट का यह निर्देश ठीक से लागू न हो पाने का कारण सिंह अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग बहानों और स्वार्थ को मानते हैं। हालांकि वे यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसे सभी सुधारों के लागू होने से लखनऊ गोलीकांड जैसे मामले थम जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि पुलिस में हो तो अपराध करेगा। इन्हें फोर्स से निकालना होगा।

फर्जी एनकाउंटर के ज्यादा केस इन 5 राज्यों में

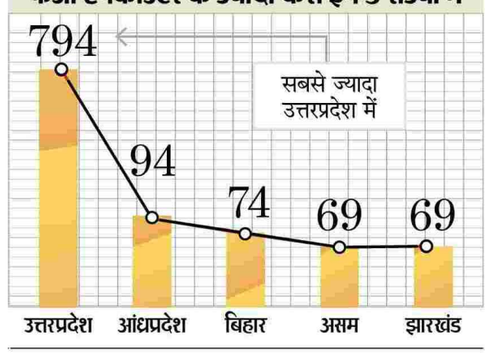

आंकड़ेः सन् 2000 से 2017 तक के। स्रोतः मानवाधिकार आयोग।

छवि ऐसी कि शिकायत तक करने में घबराते हैं 75% लोग

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट का शोध बताता है कि 75% देशवासी पुलिस से अपराध की शिकायत तक करने में कतराते हैं। कारण ये पुलिसकर्मियों के दुर्व्यवहार को बताते हैं। खासतौर पर गरीबों व महिलाओं के साथ। शोध के मुताबिक पुलिस शिकायतें भी कम ही दर्ज करती है। जितनी आती हैं उनका मात्र 10 प्रतिशत। इसकी एक बड़ी वजह राजनीतिक दबाव भी है।

'राज्य को कभी नहीं देना चाहिए एनकाउंटर को बढ़ावा'

मध्यप्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड डीजीपी कहते हैं कि उत्तरप्रदेश की तरह किसी सरकार को एनकाउंटर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। न ही आईपीएस को ऐसे मामलों में बहादुरी के पुरस्कार दिए जाने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे अधिकारियों में से कोई फर्जी तरह से मेडल लेना चाहेगा, तो फोर्स को बर्बाद ही करेगा। और जब फर्जी मामले बढ़ते हैं तो सही मामलों को भी शंका के दायरे में रखा जाने लगता है। वैसे भी जब राज्य में डीजी या जिले में एसपी अपनी पुलिस को 'ट्रिगर हैप्पी' करा दे यानी शूटआउट की आजादी दे दे तो परिणाम गलत ही मिलेंगे। इतना ही नहीं, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी बंद होने चाहिए। इससे सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। बॉडी बिल्डर जितेंद्र यादव के मामले में भी सब इंस्पेक्टर पर प्रमोशन पाने के लिए फर्जी एनकाउंटर के ही आरोप लगे थे। वैसे भी किसी अधिकारी की तुलना में जवानों के प्रमोशन का प्रतिशत काफी कम रहा है। प्रदेश में तो जवानों के प्रमोशन कोटे का सिर्फ 0.37 फीसदी ही भरा है। वहीं सब इंस्पेक्टर्स का कोटा लगभग 17 प्रतिशत भरा है। वे यह भी कहते हैं कि उत्तरप्रदेश में

जिस तरह एनकाउंटर के आंकड़े सामने आए हैं, उनका गले उतर पाना मुश्किल है। इसलिए भी कि असल एनकाउंटर में अक्सर पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आती है। जान भी चली जाती है। मगर कई बार यह भी देखा गया है कि पुलिस पीड़ित भी हो सकती है। अगर अधिकारी गलत बातों को बढ़ावा देता है, तो भी और गलत कामों पर कार्रवाई नहीं करते तो भी नीचे के अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल टूटता है। चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है। वे कहते हैं लखनऊ गोलीकांड उस पुलिसकर्मी के चिड़चिड़ापन या तनाव की वजह से है, ऐसा कहना गलत है। मगर अधिकांश मामलों में जवानों ने तनाव की बात स्वीकारी है। खासकर ड्यूटी के ज्यादा समय को लेकर।